

संख्या/NO.

मि.सं. 14-1/2016-17- शो.छा.या. (विस्तार)



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
CENTRAL HINDI DIRECTORATE
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

दिनांक/DATED :

9/5/2016

तार : राजभाषा

Tele : Rajbhasha

फोन/Phone : 26178454, 26105211

26105213, 26105214, 26105243

26105312, 26105245, 26105526

फैक्स/Fax : 26100758, 26103160

26102575

www.hindinideshalaya.nic.in

सेवा में,

Vice Chancellor,
Mahatma Gandhi
Antarrashtriya,
Hindi Vishwavidyalaya,
P.B. No-16, Panchtila,
Wardha-442001

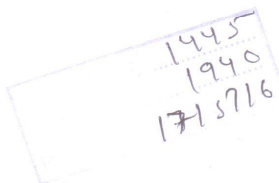
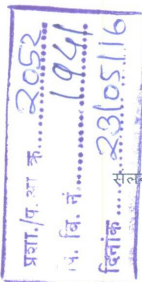
विषय:- शोध छात्र यात्रा अनुदान कार्यक्रम, 2016-17 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देश के हिंदीतरभाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक शोध छात्र यात्रा अनुदान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदीतरभाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में हिंदी भाषा /साहित्य/तुलनात्मक साहित्य पर शोधरत (पी.एच.डी., एम. फिल करने वाले) छात्रों में से प्रतिवर्ष 20 शोधार्थियों का चयन किया जाता है। ये सभी शोधार्थी शोध सामग्री के संकलन के लिए हिंदीभाषी क्षेत्र के एक ही मार्ग में पढ़ने वाले किन्हीं तीन विश्वविद्यालयों की यात्रा करते हैं। साथ ही शोधार्थी हिंदीभाषी प्रांतों में रह रहे साहित्यकारों तथा विद्वानों से साक्षात्कार भी कर पाते हैं। इस कार्यक्रम से हिंदी भाषा में शोध के व्यावहारिक पक्ष को बल मिलता है। शोधार्थियों को प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में तीन-तीन दिन (कुल 09 दिनों) के भ्रमण का समय दिया जाता है। यह अवधि यात्रा में लगने वाले समय के अतिरिक्त होती है। इस कार्यक्रम में शोधार्थियों को वातानुकूलित -3 टियर (राजधानी, शताब्दी, अथवा दुरंतो रेल से यात्रा की अनुमति नहीं है) का रेल किराया (रेल सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में बस परिवहन व्यवस्था का लाभ लिया जा सकता है) एवं नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होता है।

आपसे अनुरोध है कि हिंदी भाषा/साहित्य/तुलनात्मक साहित्य में शोधरत अधिकाधिक छात्रों तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाएं। कार्यक्रम में आवेदन करने हेतु आवेदन-पत्र संलग्न किया जा रहा है जिसे शोधार्थी स्वयं विधिवत भरकर हिंदी विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस निदेशालय को 30.09.2016 तक भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। चूंकि यह शोध यात्रा अनुदान भारत भर के बीस शोधार्थियों को दिया जाता है अतः आपसे यह अनुरोध भी है कि मात्र ऐसे शोधार्थियों के आवेदन ही भेजने का कष्ट करें जो वास्तव में शोध यात्रा करने के इच्छुक हों तथा जिन्होंने इससे पूर्व निदेशालय की शोध छात्र यात्रा का लाभ न लिया हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया, निदेशालय की वेबसाइट - www.hindinideshalaya.nic.in को देखा जा सकता है।

आशा है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आपका पूरा सहयोग मिलेगा।



भवदीया,
गोपबन्धु
(गांधारी पंगती)

सहायक निदेशक (विस्तार)

जनसंपर्क शाखिका

प्रमाणित
20/5/16

21/5/16
24.5.2016
विश्वेश्वर
विद्वान
30/5/16

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

विस्तार कार्यक्रम

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

पश्चिमी खंड -7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066

नवीनतम
फोटो

शोध छात्र यात्रा अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र

1. नाम :
2. मातृभाषा:
3. संस्था / महाविद्यालय /
विश्वविद्यालय :
4. पूरा पता :
- (दूरभाष सहित)
5. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण
स्नातकोत्तर (एम.ए.)/एम. फिल.
(अंक सूची की फोटो प्रति संलग्न करें) :
6. शोध का विषय:
7. मार्गदर्शक (गाइड) का नाम:
8. पी-एच डी. की पंजीकरण संख्या तथा
तिथि: (फोटो प्रति संलग्न करें)
9. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति
तिथि:

नोट: केवल हिंदी में भरे हुए आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

से हैं ?

(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

10. इस यात्रावृत्ति को प्राप्त करने के पश्चात् निदेशालय द्वारा दी गई तिथि तक यात्रा संपन्न करने का आश्वासन देता/देती हूँ।

स्थान :

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर

11. शोध कार्य के मार्गदर्शक प्राध्यापक अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य / विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त छात्र को प्रस्तुत कार्यक्रम के अंतर्गत पहले कभी शोध छात्र यात्रा अनुदान नहीं मिला है। इस शोध कार्य के संबंध में निम्नलिखित विश्वविद्यालय/पुस्तकालयों में जाना आवश्यक है।

क)

ख)

ग)

हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर

कुल सचिव/रजिस्ट्रार की टिप्पणी

मैं उपर्युक्त छात्र/छात्रा को यात्रावृत्ति देने के पक्ष में हूँ/नहीं हूँ।

हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर

स्थान :